आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(2)/लेखा/आकाशि /स्कूटी/विविध/बजट घोषणा–32/2022–23/2506 दिनांकः 21-03-23

आदेश

वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 32 में उल्लिखित है कि " **कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध करायी जा रही स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने की मैं, घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को Electric Scooty लिए जाने का विकल्प दिया जाना भी प्रस्तावित है।** " की अनुपालना में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या वर्ष 2023–24 से 20000 से बढ़ाकर 30000 प्रतिवर्ष किए जाने तथा बालिकाओं को Electric Scooty लिए जाने का विकल्प दिए जाने के क्रम में उक्तानुसार वर्ष 2023–24 से योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या निम्नानुसार 20000 से बढ़ाकर 30000 प्रतिवर्ष की जाती है–

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2022–23 से स्कूटियों की संख्या	वर्ष 2023–24 से स्कूटियों की संख्या
1.	**काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना–**		
	(i) उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु)	2775	4162
	(ii)अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	1642	2463
	(iii) सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	985	1477
	(iv) अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग)	1232	1848
	(v)(अ)अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	8210	12315
	(v)(ब) अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	1642	2463
	(vi)विमुक्त घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	1051	1577
2.	**देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना**	2463	3695
		20,000	**30,000**

उक्त आदेश संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300338 दिनांक 09.03.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(2)/लेखा/आकाशि /स्कूटी/विविध/बजट घोषणा–32/2022–23/2507-15 दिनांकः 21-03-2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार स्कूटियों की संख्या में की गई वृद्धि अनुसार वर्ष 2023–24 में बजट प्रावधान करावें।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार स्कूटियों की संख्या में की गई वृद्धि अनुसार वर्ष 2023–24 में बजट प्रावधान करावें।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार स्कूटियों की संख्या में की गई वृद्धि अनुसार वर्ष 2023–24 में बजट प्रावधान करावें।
9. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.03.18 21:24:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3429221